

2019 का विधेयक सं.10

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 3 का संशोधन.- राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 38), जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विहित किये जायें, प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।"

3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण पांच प्रतिशत होगा।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 राज्य के अति पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सीटों तथा राज्य के अधीन नियुक्तियों और पदों के आरक्षण का उपबंध करता है। आरक्षण के प्रतिशत को विहित करने की शक्ति उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 द्वारा सरकार को प्रत्यायोजित की गयी है।

संविधान का अनुच्छेद 38 राज्य को आदिष्ट करता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। इसमें यह भी आदिष्ट किया गया है कि राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। संविधान का अनुच्छेद 46 भी यह आदिष्ट करता है कि राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा।

यद्यपि आनुपातिकता का सिद्धांत अनुच्छेद 16 के अधीन आरक्षण पर उस रूप में लागू नहीं है जिस रूप में वह अनुच्छेद 330 और 332 में लागू है, तथापि आरक्षण के विस्तार को सुनिश्चित करने में राज्य की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का अनुपात एक सुसंगत कारक है। वस्तुतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देते समय केन्द्र सरकार द्वारा इस सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। जब केन्द्र सरकार ने वर्ष 1993 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया था तब राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात लगभग 52 प्रतिशत था और आरक्षण 27 प्रतिशत दिया गया था। चूंकि राज्य पिछड़ा

वर्ग आयोग ने राजस्थान राज्य में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या लगभग 52 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है इसलिए जनसंख्या की मात्रा को देखते हुए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

चूंकि पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित सभी जातियां सामाजिक और शैक्षिक विकास के भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं और इसलिए संविधान के ऊपर वर्णित अनुच्छेदों में अनुध्यात राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इन वर्गों को इनके सामाजिक और शैक्षिक विकास के स्तरों के अनुरूप पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों में उप विभाजित नहीं किया जाये। वर्गों की समानता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह मामला माननीय न्यायाधिपति (से.नि.) श्री इन्द्रसेन इसरानी की अध्यक्षता वाले तत्कालीन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्दिष्ट किया गया था। आयोग ने वर्ष 2012 में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि कतिपय जातियां जैसे बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं और उनकी त्वरित सामाजिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए विशेष सावधानी और संरक्षण की आवश्यकता है।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त माननीय न्यायाधिपति (से.नि.) सुनील कुमार गर्ग की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के साथ ही साथ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में, जो उनके द्वारा किये गये विस्तृत अध्ययन पर आधारित हैं, स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि इन्द्रा साहनी के मामले में परिकल्पित विशेष परिस्थितियां राज्य में विद्यमान हैं और प्रवेश और नियुक्तियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए उस मामले में अधिकथित 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं।

उच्च स्तरीय समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों के क्षेत्रीय अध्ययन के साथ-साथ विस्तृत अध्ययन के पश्चात् अपना प्रतिवेदन 10 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत किया जो तीन वोल्यूम में समाहित है। यह

प्रतिवेदन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को परीक्षण और सिफारिश के लिए निर्दिष्ट किया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन 16 जुलाई, 2017 को प्रस्तुत किया। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और उच्च स्तरीय समिति दोनों ने स्पष्ट रूप से यह सिफारिश की है कि इन्द्रा साहनी के मामले में परिकल्पित विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं और कतिपय जातियां जैसे बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी अत्यधिक पिछड़े वर्ग हैं और उनके लिए पृथक् आरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि इन जातियों को अति पिछड़ा वर्ग के रूप में एक पृथक् वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनको इन्द्रा साहनी के मामले में अधिकथित 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर 1 प्रतिशत और उस सीमा के बाहर 4 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इन जातियों का कुल आरक्षण 5 प्रतिशत होना चाहिए और समग्र पिछड़े वर्ग का आरक्षण 26 प्रतिशत होना चाहिए।

पूर्वोक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट अपेक्षा, कि इन वर्गों को 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायेगा, होने के बावजूद उन्हें केवल 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था।

हाल ही में, संसद ने ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियों, जिनमें समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग निरुत्साहित हो रहे हैं, को ध्यान में रखते हुए, इन्द्रा साहनी के मामले में अधिकथित 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किया है। पूर्वोक्त अधिनियम में वर्णित अति पिछड़े वर्ग अत्यधिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं और राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि इनके मामले में और भी बाध्यकारी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो शैक्षिक संस्थाओं तथा राज्य के अधीन नियुक्ति और पद, दोनों में, 5 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के द्वारा, इन वर्गों के तत्काल उत्थान की आवश्यकता प्रतिपादित करती हैं।

उपर्युक्त को दृष्टि में रखते हुए, यह प्रस्तावित है कि आरक्षण के प्रतिशत को विहित करने के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रत्यायोजित

करने के बजाय, उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 को यथोचित रूप से संशोधित करके, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के प्रतिशत का उपबंध उक्त अधिनियम में ही किया जाना चाहिए।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

बुलाकी दास कल्ला,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017
(2017 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

3. राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण.- (1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विहित किये जायें, प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण, वार्षिक अनुज्ञात संख्या का ऐसा प्रतिशत होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी और धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंध ऐसी अधिसूचना पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(2) XX XX XX XX XX

4. राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण.- (1) अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण, राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का ऐसा प्रतिशत होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी और धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंध ऐसी अधिसूचना पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES
(RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS
AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE)
(AMENDMENT) BILL, 2019**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 38 of 2017.- For the existing sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 (Act No. 38 of 2017), hereinafter in this Act referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

“(1) The reservation in respect of the annual permitted strength for admission into such educational institutions and courses in the State, as may be prescribed, for the More Backward Classes shall be five percent.”.

3. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 38 of 2017.- For the existing sub-section (1) of section 4 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

“(1) The reservation of appointments and posts in the services under the State for the More Backward Classes shall be five percent.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 provides for reservation of seats in educational institutions and in appointments and posts under the State for the more backward classes of the State. The power to prescribe percentage of the reservation has been delegated to the Government vide sections 3 and 4 of the said Act.

Article 38 of the Constitution enjoins upon the State that it shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may, a social order in which justice, social economic and political shall inform all the institutions of the national life. It further mandates that the State shall, in particular, strive to minimize inequalities in income and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations. Article 46 of the Constitution also mandates that the State shall promote, with special care, the educational and economic interests of the weaker sections of the people.

Though the principle of proportionality is not applicable to the reservation under Article 16 as it is applicable under Articles 330 and 332, however, the proportion of the backward classes to the total population of the State is a relevant factor while determining the extent of reservation. And in fact, this principle has been followed by Central Government while granting reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. When the Central Government provided reservation to backward classes in the Year of 1993, the proportion of the population of backward classes at national level was about 52% and the reservation was provided 27%. Since the population of backward classes in the State of Rajasthan is estimated by the State Backward Classes Commission to be about 52%, therefore looking to the volume of population, the percentage of reservation for backward classes need to be increased.

Since all the castes included in the list of Backward Classes are at different stages of social and educational development and therefore the objectives of the directive principles of State policy

mandated in the above referred Articles of the Constitution cannot be fully achieved unless these classes are sub-divided in backward and more backward classes according to the level of their social and educational development. In order to ensure class equality, the matter was referred to the then State Backward Classes Commission, headed by Hon'ble Justice (Retd.) Indersen Ishrani. The Commission in its report submitted in the Year 2012 recommended that certain castes namely Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/Rebari/Debasi, Gadariya/ Gadri/Gayari are extremely backward and need special care and protection for their rapid social and educational advancement.

The High Power Committee, headed by Hon'ble Justice (Retd.) Sunil Kumar Garg, appointed by the State Government as well as the State Backward Classes Commission has unequivocally concluded in their reports, which is based on extensive studies conducted by them, that special circumstances envisaged in the Indra Sawhny's case do exist in the State and there are reasonable grounds to exceed the limit of 50% laid down in that case to ensure adequate representation of Backward Classes in admissions and appointments.

The High Power Committee, after carrying out extensive study including field study of various sections of the society submitted its report on 10th July, 2017 which comprises in three Volumes. This report was referred to the State Backward Classes Commission for examination and its recommendation. The State Backward Classes Commission submitted its report on 16th July, 2017. Both the State Backward Classes Commission and the High Power Committee have unequivocally recommended that special circumstances as contemplated in the Indra Sawhny's case do exist and certain castes like Banjara/Baldiya/Labana, Gadiya Lohar/Gadoliya, Gujar/Gurjar, Raika/ Rebari/Debasi, Gadariya/ Gadri/Gayari are extremely backward classes and need separate reservation. They have also recommended that these castes should be categorized as a separate class as More Backward Classes and they should be provided 1% reservation from within the limit of 50% laid down in the Indra Sawhny's case and 4% from beyond that limit for which compelling circumstances do exist. Thus the

total reservation of these castes should be 5% and total reservation of backward classes as a whole should be 26%.

Despite the clear stipulation in the Statement of Objects and Reasons of the aforesaid Act that these classes would be provided 5% reservation, they had been provided only 1% reservation.

Recently, the Parliament has amended the Constitution to exceed the limit of 50% laid down by the Indra Sawhny's case having regard to the compelling circumstances in which Economically Weaker Sections of the society are languishing. The more backward classes identified in the aforesaid Act are extremely backward classes and the State Government is satisfied that there exist more compelling circumstances which warrant urgent upliftment of these classes by providing 5% reservation both in educational institutions and in appointment and post under the State.

In view of the above, it is proposed that instead of delegating power to the State Government for prescribing percentage of reservation, the provision of the percentage of reservation for more backward classes should be made in the Act itself by amending sections 3 and 4 of the said Act suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objects.
Hence the Bill.

बुलाकी दास कल्ला,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
BACKWARD CLASSES (RESERVATION OF SEATS IN
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF
APPOINTMENTS AND POSTS IN SERVICES UNDER THE
STATE) ACT, 2017
(Act No. 38 of 2017)**

XX XX XX XX XX XX XX

3. Reservation of seats in educational institutions in the State.- (1) The reservation in respect of the annual permitted strength for admission into such educational institutions and courses in the State, as may be prescribed, for the more backward classes shall be such percent of the annual permitted strength as may be notified by the State Government from time to time:

Provided that every notification issued under this subsection shall be laid, as soon as may be, after it is so issued, before the House of the State Legislature and the provisions of subsection (2) of section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such notification.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

4. Reservation of appointments and posts in the services under the State.- (1) The reservation of appointments and posts in the services under the State for the more backward classes shall be such percent of the appointments and posts in services under the State as may be notified by the State Government from time to time:

Provided that every notification issued under this subsection shall be laid, as soon as may be, after it is so issued, before the House of the State Legislature and the provisions of subsection (2) of section 6 shall *mutatis mutandis* apply to such notification.

(2) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

2019 का विधेयक सं.10

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

दिनेश कुमार जैन,
सचिव।

(cgykdh nkl dYyk, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 10 of 2019

**THE RAJASTHAN BACKWARD CLASSES
(RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS
AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE)
(AMENDMENT) BILL, 2019**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Dinesh Kumar Jain,
Secretary.

(Bulaki Das Kalla, **Minister-Incharge**)